भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1432
(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पात्रता मानदंडों की समीक्षा

1432. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत मूल रूप से एकल , बिना संपर्क वाली बस्तियों को बारहमासी संपर्क प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई थी और बाद में इसका विस्तार कर गांवों के समूहों को जोड़ने वाली संपर्क सड़कों को शामिल किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने अब केवल एकल-बस्ती संपर्क को प्राथमिकता देने और बहु-ग्राम संपर्क सड़क परियोजनाओं को बंद करने की नीति अपनाई है और यदि हां , तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परिवर्तन से पहले कोई सर्वेक्षण, क्षेत्र आकलन या हितधारकों से परामर्श किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य अवलोकन क्या हैं;

(घ) बहु-ग्राम मॉडल के अंतर्गत पहले से योग्य बस्तियों का ब्यौरा कितना है और उन पर कितना असर पड़ा है, साथ ही उत्तर प्रदेश सहित राज्य और जिला-वार टाले या रद्द की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मंत्रालय का विचार पात्रता मानदंडों की समीक्षा करने का है और यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ड.) दिसंबर 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र संपर्कवहीन बसावटो को संपर्कता प्रदान करने के लिए एकल , बारहमासी सड़क कार्यकलाप के रूप में डिज़ाइन किया गया था। कार्यक्रम की मूल इकाई

हमेशा से बसावट (आबादी का समूह) रही है , न कि राजस्व गांव या पंचायत। पीएमजीएसवाई-I को कोर नेटवर्क (सीएन) अवधारणा के आधार पर लागू किया गया था। सीएन में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. थ्रू रूट्स: वे सड़कें जिन पर विभिन्न लिंक सड़कों/बसावटों से यातायात आता है और बाजार केंद्रों/उच्च श्रेणी की सड़कों की ओर जाती हैं।

ख. लिंक रूट्स: वे सड़कें जो किसी एकल बस्ती या बसावटों के समूह को थ्रू रूट्स या बाजार केंद्रों की ओर जाने वाले मार्गों या जिला सड़कों से जोड़ती हैं।

इसलिए, शुरुआत से, इस योजना में लिंक मार्गों का निर्माण शामिल है , जो परिभाषा के अनुसार, संपर्कवहीन बसावटों के एकल या क्लस्टर (समूह) को मौजूदा नेटवर्क से जोड़ते हैं। हालांकि, इसका उद्देश्य हमेशा से संपर्कवहीन बसावट के लिए एकल सड़क संपर्कता प्राप्त करना था।

सरकार ने सितंबर 2024 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना- चरण I V, जिसे पीएमजीएसवाई-I V कहा जाता है, की शुरूआत की है। इस नए कार्यकलाप, पीएमजीएसवाई-I V का प्राथमिक फोकस सख्ती से पात्र संपर्कवहीन बसावटों को नई संपर्कता प्रदान करना है, विशेष रूप से वे बसावटें जो जनगणना 2011 की जनसंख्या आकड़ों (मैदानी क्षेत्रों में 500+ और विशेष क्षेत्रों में 250+) के आधार पर पात्र हो गए हैं। मंत्रालय ने कई बसावटो को जोड़ने वाली सड़कों की अवधारणा को बंद नहीं किया है। सभी पीएमजीएसवाई चरणों के लिए कार्यक्रम दिशानिर्देश लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि लक्षित संपर्कवहीन बसावटों को जोड़ने के उद्देश्य को बनाए रखते हुए , उन सड़कों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो प्रसंगवश अन्य बसावटों या एक बड़े जनसंख्या समूह को जोड़ती हैं। संपूर्ण सिद्धांत यह है कि सड़क को एक **निर्दिष्ट संपर्कवहीन बसावट** की ओर जाना चाहिए , लेकिन यदि इसका संरेखण कोर नेटवर्क के भीतर इस दौरान एक लिंक रुट के रूप में अन्य बसावटों को जोड़ने या पूरा करने के लिए भी होता है, तो इसे प्रोत्साहित किया जाता है, बशर्ते मुख्य उद्देश्य पूरा हो जाए।

****